

## विज्ञापित

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2015 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 426/15-11-2015-2087/2013 दिनांक 14.06.2016 के अनुपालन में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2015 की चयन/ प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक बी0टी0सी0- 2015/8284-8358/2016-17 दिनांक 06.08.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद में वर्गवार/ श्रेणीवार आबंटित सीटों के प्रति आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए मेरिट अवरोही क्रम में/ वर्गवार/श्रेणीवार अभ्यर्थियों की जांच सूची /कट ऑफ मेरिट निर्गत की गयी थी। प्रथम चरण में सम्पन्न काउंसलिंग में उपस्थित अर्ह अभ्यर्थियों में से बी0टी0सी0 2015 में डायट हेतु स्वीकृत 200 सीटों पर प्रवेश हेतु अनन्तिम चयन सूची की कट ऑफ मेरिट वर्गवार/ श्रेणीवार निर्गत कर दी गयी है। उक्त से संबंधित कट ऑफ मेरिट जनपद की वेबसाईट <http://www.bareilly.nic.in> पर भी देख सकते हैं। अनन्तिम चयन सूची हेतु जारी न्यूनतम कट ऑफ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के समय अपने समस्त मूलशैक्षिक अभिलेख/ विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा रू0 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) सहित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनिवार्य रूप से देना होगा। सभी अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रतियों के दो-दो अलग-अलग सेट फाइल कवर में लगाकर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदपुर (बरेली) में दिनांक 24.08.2016 तथा 26.08.2016 को प्रातः 10.30 बजे स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

## प्रथम अनन्तिम चयनितों का कट ऑफ

वर्ग/श्रेणी	महिला		पुरुष	
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान
सामान्य	223.77	237.65	230.13	238.38
अनुसूचित जाति	206.92	215.78	206.53	223.20
अनुसूचित जनजाति	202.12	213.46	172.83	204.09
अन्य पिछड़ा वर्ग	220.92	232.38	222.49	234.33
विशेष आरक्षण	महिला		पुरुष	
विकलांग-दृष्टिबाधित	200.65		215.52	
विकलांग-श्रवणह्रास	204.51		206.65	
विकलांग-चनलक्रिया	205.82		218.17	
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	204.48		201.69	
भूतपूर्व सैनिक स्वयं	-		156.57	

नोट- 1- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त मानते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा। जारी की गयी विज्ञापित मा0 उच्च न्यायालय /मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश/रिश्फलिंग एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।

(सुषमा शर्मा)

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान  
फरीदपुर(बरेली)

/2016-17 तददिनांक।

पृ0सं0: डायट/बी0टी0सी0 प्रशि0-2015/

प्रतिलिपि:- 01 सम्पादक दैनिक अमर उजाला बरेली को इस आशय से कि उक्त विज्ञापित दिनांक 24.08.2016 के अंक में शासकीय दरों पर न्यूनतम आकार के शब्दों में प्रदेश के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

02 सम्पादक दैनिक जागरण बरेली को इस आशय से कि उक्त विज्ञापित दिनांक 24.08.2016 के अंक में शासकीय दरों पर न्यूनतम आकार के शब्दों में प्रदेश के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

03 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) बरेली को इस आशय से कि उक्त विज्ञापित जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

Sush

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

फरीदपुर(बरेली)

23-8-16

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली।

पत्रांक: डायट/बी0टी0सी0-2015/ 459-60 /2016-17 दिनांक: 10.08.2016

विज्ञप्ति

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2015 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 426/15-11-2015-2087/2013 दिनांक 14.06.2016 के अनुपालन में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2015 की चयन/ प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक बी0टी0सी0-2015/8284-8358/2016-17 दिनांक 06.08.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद के डायट/निजी संस्थाओं हेतु वर्गवार/श्रेणीवार आबंटित सीटों के प्रति आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए मेरिट अवरोही क्रम में शत प्रतिशत सीटों को भरने हेतु वर्गवार/श्रेणीवार 100 गुना एवं विशेष आरक्षित श्रेणी के 200 गुना अभ्यर्थियों जांच सूची /कट ऑफ मेरिट जिसका विवरण एवं समय सारणी निम्नवत् है, निर्गत की गयी है। उक्त से संबंधित कट ऑफ मेरिट जनपद की वेबसाईट <http://www.bareilly.nic.in> पर भी उपलब्ध हैं। कटऑफ मेरिट में सम्मिलित अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ई-आवेदन पत्र, ई-पंजीकरण, ई-चालान, 02 नवीनतम फोटो आदि के 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के सैट पृथक-पृथक फाईल कवर में तैयार कर निर्धारित तिथि को प्रातः 10.00 बजे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली में उपस्थित हों। काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी 10/- रु0 के नान जूडिशियल स्टॉप पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उनका विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य नहीं है, ऐसा पाये जाने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

डायट/निजी संस्थानों हेतु प्रथम जांच सूची का कट ऑफ

वर्ग/श्रेणी	महिला		पुरुष	
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान
सामान्य	213.77	218.89	202.67	217.13
अनुसूचित जाति	198.34	193.01	185.49	195.42
अनुसूचित जनजाति	180.98	137.68	145.46	136.13
अन्य पिछड़ा वर्ग	208.20	209.44	194.76	208.09
विशेष आरक्षण	महिला		पुरुष	
विकलांग-दृष्टिबाधित	165.13		163.17	
विकलांग-श्रवणहास	131.49		127.20	
विकलांग-चलनक्रिया	183.70		188.02	
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	134.81		128.32	
भूतपूर्व सैनिक स्वयं	142.07		120.44	

अभिलेखों की जांच हेतु निर्धारित कार्यक्रम,

समस्त महिला अभ्यर्थी तथा समस्त महिला विशेष आरक्षण वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी	12.08.2016
समस्त पुरुष अभ्यर्थी तथा समस्त पुरुष विशेष आरक्षण वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी	13.08.2016
निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग से छूटे हुये समस्त अभ्यर्थी	16.08.2016

नोट:- 1- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त मानते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा। जारी की गयी विज्ञप्ति मा0 उच्च न्यायालय /मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश/रिफालिंग एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।

2- काउंसिलिंग होने का अर्थ चयन/प्रवेश की सुनिश्चितता न समझा जाये।

3- यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट के प्रतिशत निकाल लेगे तथा प्रतिशत को अंको में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिये जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फार्मूला) अभिलेखीय जांच/काउंसिलिंग के समय साथ लाना होगा।

(सुषमा शर्मा)

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान  
फरीदपुर(बरेली)

पू0सं0: डायट/बी0टी0सी0-प्रशि0-2015/

459-60

/2016-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- 01 सम्पादक दैनिक अमर उजाला बरेली को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति दिनांक 11.08.2016 के अंक में शासकीय दरों पर न्यूनतम आकार के शब्दों में प्रदेश के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

02 सम्पादक हिन्दुस्तान बरेली को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति दिनांक 11.08.2016 के अंक में शासकीय दरों पर न्यूनतम आकार के शब्दों में प्रदेश के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

03 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) बरेली को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान  
फरीदपुर(बरेली)